

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

राजाराध बनाम सरकार

कसम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 34 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/34

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
04/01/2022	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>राजाराध कोठी</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./20<u>2</u>/1553 दिनांक <u>04/01/2022</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के लिए कम्प्लेन-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>राजाराध कोठी</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>32 P.S.B</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2013-76</u> के खाता सं. <u>131</u> में</p> <p><u>राजाराध</u> <u>श्री</u> के स्थान पर</p> <p><u>राजाराध</u> <u>श्री</u> के स्थान पर</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर में। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>राजाराध कोठी</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक <u>32 P.S.B</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2013-76</u> के खाता सं. <u>131</u> में</p> <p><u>राजाराध</u> <u>श्री</u> के स्थान पर</p> <p><u>राजाराध</u> <u>श्री</u> के स्थान पर</p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदलकर मजमा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> <p>(अर्पिता रोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p>	